

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 449]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 नवम्बर 2016—कार्तिक 14, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2016

क्र. एफ 16-07-2012-एक-4.—राज्य शासन द्वारा विभाग की अधिसूचना एफ 16-07-2011-एक-4, दिनांक 2 जनवरी 2016 द्वारा प्रकाशित "मध्यप्रदेश भवन तथा मध्यांचल अधिवास नियम, 2015 के परिशिष्ट-दो के सरल क्रमांक 3 के कॉलम क्रमांक (3) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है :-

स.क्र. (1)	प्रवर्ग (2)	अधिवास की शर्तें एवं शुल्क की दरें (3)
3.	मध्यप्रदेश के विधायकगण	प्रतिमाह पांच दिन के लिए निःशुल्क अधिवास की पात्रता होगी इससे अधिक ठहरने पर परिशिष्ट-3 में दर्शायी गई दरें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय कुमार, उपसचिव.